

अनुमंडल कार्यालय, मढ़ौरा, सारण।

विकासमित्र के रिक्त पद पर नियोजन

1. अनुमंडल स्तर पर विकासमित्र चयन समिति का गठन करने की तिथि-18.06.2024
2. प्रखंड/नगर/निकाय में रिक्तियों के प्रकाशन करने की तिथि-23.06.2024
3. प्रखंड/नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करने की तिथि 27.06.2024-02.07.2024
4. मेधा सूची तैयार करना एवं प्रकाशन करने की तिथि-03.07.2024-04.07.2024
5. चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदन प्राप्त करने की तिथि-05.07.2024
6. चयन सूची का अंतिम प्रकाशन, आपत्ति प्राप्त करना, आपत्ति का निराकरण करके नियोजन सूची प्रकाशन करने तिथि-06.07.2024-10.07.2024
7. नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उनमुखीकरण कार्यक्रम-11.07.2024

विकास मित्र का चयन- महादलित समुदाय से ग्रामीण में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड समूह/कलस्टर पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकासमित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। पंचायत/वार्ड समूह वर्ष-2010 के सर्वेक्षण के आधार पर जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र की चयन किया जायेगा।


1. चयन हेतु अर्हता- (i) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वर्ग से होंगे।
(ii) जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) से विकास मित्र का चयन किया जाता है, वही के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा।
(iii) आवेदक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी।
(iv) विकासमित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता है (क) नन मैट्रीक (ख) नौवी पास (ग) आठवी पास (घ) सातवी पास (ङ) छठा पास (च) पाचवी पास। सर्वप्रथम नन मैट्रीक उसके पश्चात नवी पास उसी प्रकार नीचे के क्रम में किया जायेगा। महिलाओं शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हें चयनित किया जायेगा। बर्शते वे अक्षर योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे समाजिक कार्यों में प्रगति सक्रिय महिला हो। उच्च शैक्षणिक योग्यता का आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे वैसी स्थिति में जिन आवेदक की उम्र सबसे कम होगी चयन किया जायेगा। अगर दो या दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी में अनुमंडल पदाधिकारी स्वविवेक से आवेदकों का चयन करेंगे।
(v) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।
(vi) मैट्रिक या समकक्ष में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
(vii) मैट्रीक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. आयु सीमा- आवेदक की उम्र दिनांक-01.01.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रीक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. जाति बहुलता- पंचायत/वार्ड समूह क्षेत्र में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता को निर्धारण किया जा चुका है। जाति बहुलता का निर्धारण उसी जाति से की गई है, जिस जाति से की गई है जिस जाति की जनसंख्या पंचायत/वार्ड समूह में सबसे अधिक है किसी भी परिस्थिति में विकासमित्र का चयन उसी रिक्ति वाले पंचायत से ही किया जायेगा।
4. नियोजन की अवधि- विकासमित्रों का नियोजन 60 वर्ष कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकता अनुसार पुनः नियोजन किया जा सकता है।
5. मानदेय-प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय भुगतान होगा।
6. सामान्य निर्देश- कार्य योजना के अनुसार सभी तथ्यों यथा विकासमित्रों के पदों की जिला द्वारा अनुमोदन इत्यादि की सूचना मिशन को समय-समय प्रेषित किया जायेगा।

आवेदन पत्र जमा करने का स्थान- प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, मशरक, सारण।

क्र०	प्रखंड का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	जाति बहुलता	आरक्षण की स्थिति
01	मशरक	सोनौली	चमार	आरक्षित महिला
02	मशरक	मशरक पूर्वी	मुसहर	आरक्षित महिला

- अधिक जानकारी के लिए- अनुमंडल कार्यालय, मढौरा/जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यालय एवं बिहार महादलित विकास मिशन से संपर्क किया जा सकता है।
- बिहार महादलित विकास मिशन के हेल्पलाइन पटना का संपर्क नं० 18003456345 पर संपर्क किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र का प्रपत्र www.mahadalitmission.org पर उपलब्ध है।
- रिक्ति से संबंधित जानकारी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।


अनुमंडल पदाधिकारी
मढौरा, सारण।

ज्ञापांक 882 / दिनांक 15.6.2024

प्रतिलिपि:- प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरक को सूचनार्थ प्रेषित, उक्त विज्ञप्ति को अपने प्रखंड कार्यालय एवं संबंधित पंचायत भवन पर सूचना प्रकाशित करेंगे तथा उसकी एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क को सूचनार्थ प्रेषित अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्त विज्ञप्ति को समाचार दैनिक पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:- जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


अनुमंडल पदाधिकारी
मढौरा, सारण।